

# लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

## मैनुअल संख्या - 4

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1)(ख)(IV))

### कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

**कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित मानक व नियम :**

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन, लघु सिंचाई विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं० 338/11-2004/2005 लघु सिंचाई विभाग देहरादून दिनांक 31-03-2006, सचिव, ग्राम्य विकास, पंचायती राज एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन, द्वारा जारी शासनादेश सं० 144/ए०पी०एस०/ल०सि०/2005 देहरादून दिनांक 27.07.2005 एवं सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1373/11-2004-14(05)/2005 दिनांक 05-09-2008 के द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन (Participatory Irrigation Management) के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। उक्त शासनादेशों की प्रतियां इस मैनुअल के अन्त में संलग्न हैं। उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत दिये मानक/नियमों का विवरण निम्न प्रकार है :-

**सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं का चिन्हीकरण :**

ग्राम में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध जल श्रोत के अनुसार योजना चिन्हीकरण का कार्य किया जायेगा। क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं का चिन्हीकरण क्षेत्र पंचायत के समन्वय के अधीन किया जायेगा।

**सिंचाई परियोजना का स्थल चयन :**

ग्राम में चिन्हित योजना का ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चयन किया जायेगा, जिसमें उपलब्ध जल श्रोत तथा कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना का चयन किया जायेगा। योजना का हेड सुरक्षित स्थान पर हो तथा हर समय पानी उपलब्ध हो। क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं का स्थलीय चयन क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में लघु सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार किया जायेगा। मानक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

**प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना उपलब्ध कराना :**

सिंचाई परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराना :-

- **जल श्रोत से माह मई, जून व नवम्बर में उपलब्ध होने वाली जल की मात्रा का आंकलन :-** इसमें ग्राम के पास उपलब्ध श्रोत का जलश्राव कितना है?, का मापन कर श्रोत का जलश्राव उपलब्ध कराना होगा, जो लीटर/मिनट या क्यूसेक में नापा जायेगा। जल श्राव का मापन वर्ष के ग्रीष्मकाल में मई एवं जून तथा शरद काल में नवम्बर माह के किया जायेगा।
- **जल श्रोत संरक्षण/अभिवर्धन हेतु किये जाने वाले कार्य का विवरण :-** जिस श्रोत से सिंचाई हेतु जल लिया जाना है, उसके संरक्षण एवं अभिवर्धन हेतु क्या उपचार किया जा सकता है, का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा।
- **प्रतिवेदित क्षेत्रफल :-** प्रस्तावित योजना में कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी? का विवरण राजस्व लेखे (खसरा नक्शा) से दिया जायेगा।
- **गूल/पाइपलाइन :-** विभागीय मानकों के अनुसार प्रति किमी<sup>0</sup> 6 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन का न्यूनतम मानक है। उपलब्ध जल श्रोत एवं कृषि योग्य भूमि के आधार पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा डिजाईन किया जायेगा। 0.20 X .20 मी<sup>0</sup> सैक्शन की औसत दर 4.00 लाख/किमी<sup>0</sup> व 0.30 X 0.25 मी<sup>0</sup> सैक्शन की औसत दर 6.00 लाख/किमी<sup>0</sup> होगी, इससे अधिक सेक्शन हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा परामर्श कर प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।
- **हौज :-** भूमि की उपलब्धता एवं सिंचाई जल श्रोत पर उपलब्ध जलश्राव के आधार पर हौज की संख्या एवं आकार निर्धारित किया जायेगा। उदाहरणार्थ 1 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 4.00 X 2.50 X 1.50 मी<sup>0</sup> आकार का 1 टैंक, 2 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 4.00 X 2.50 X 1.50 मी<sup>0</sup> के दो टैंक या 5.00 X 3.00 X 1.50 मी<sup>0</sup> साइज का एक टैंक प्रस्तावित किया जाना होगा। 4.00 X 2.50 X 1.50 मी<sup>0</sup> साइज के टैंक की औसत लागत 50000.00 रु0 प्रति टैंक तथा 5.00 X 3.00 X 1.50 मी<sup>0</sup> साइज के टैंक की औसत लागत 80000.00 रु0 प्रति टैंक निर्धारित है।
- **हाईड्रम :-** उपलब्ध जलश्राव एवं कृषि योग्य भूमि के आधार पर हाईड्रम की संख्या निर्धारित की जायेगी। एक यूनिट की सिंचन क्षमता का मानक 6 हैक्टेयर है तथा 4" X 2" साइज की एक यूनिट हेतु औसत लागत रु0 3.50 लाख, 6" X 3" की एक यूनिट हेतु 4.50 लाख तथा 8" X 4" की एक यूनिट हेतु 5.50 लाख की धनराशि से अधिक व्यय नहीं हो सकेगा। हाईड्रम स्थापना हेतु स्थल पर उपलब्ध ड्रॉप तथा ऊँचाई के अनुपात का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। यह प्रयास किया जाय कि सिंचाई हेतु प्रस्तावित

भूमि उपलब्ध ड्रॉप के 10 गुने से अधिक ऊँचाई पर न हो तथा 3.00 मी0 से कम एवं 6.0 मी0 से अधिक का ड्रॉप न हो। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा हाईड्रम हेतु प्रस्तावित भूमि की सिंचाई हेतु आवश्यक हाईड्रम की संख्या एवं आकार की गणना कर डिजाइन तैयार किया जायेगा, जिसके अनुरूप प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

- **वीयर :-** ऐसे स्थान जहां पर स्थायी श्रोत (Perennial Source) उपलब्ध हैं, जिसका स्तर ऊँचा करने से अधिक मात्र में खेतों की सिंचाई सम्भव हो परन्तु स्थायी रूप से उनका स्तर ऊँचा करने से ऊपर (Up Stream) के खेतों के लिए वर्षा ऋतु में वाटर लागिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके समाधान के लिए गेटेड स्ट्रकचर की आवश्यकता होगी। इसकी लागत रु0 6.50 लाख प्रति मी0 स्पान, को मानक मानकर तथा इससे बनने वाली फीडिंग चैनल का निर्माण 6.50 लाख रु0 प्रति कि0मी0 मानक मानकर प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाय।
- **आर्टीजन :-** यह झरने का ही रूप है, परन्तु यह प्रायः समतल व कम ढाल वाले स्थानों पर पाये जाते हैं। इनको फ्लोविंग कूप अथवा कनफाइन्ड जल प्रस्तर कूप कहते हैं। किसी भी ढालू कनफाइन्ड जल प्रस्तर में भूतल से पन्चर करने पर जल दबाव के कारण बहने वाले झरने को आर्टीजन कहते हैं। आर्टीजन निर्माण पर 1.75 लाख रु0 प्रति आर्टीजन तथा इस पर 0.50 किमी0 गूल निर्माण की लागत रु0 3.25 लाख, कुल 5.00 लाख प्रति यूनिट औसत व्यय मानकर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।
- **मरम्मत की आवश्यकता का विवरण :-** योजना के स्थलीय आवश्यकता के आधार पर प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा इस हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से परामर्श आवश्यक होगा।

### सर्वेक्षण हेतु प्रारूप

1. योजना का नाम :
2. मद का नाम :
3. योजना स्थल का नाम :
4. ग्राम पंचायत :
5. विकासखण्ड :
6. जनपद :
7. सर्वेक्षण का दिनांक :
8. श्रोत का नाम :
9. उपलब्ध जलश्राव (ली0/मि0 या क्यू0/सेक0 में) :

10. जलश्राव मापन का दिनांक :
11. उपलब्ध कृषि योग्य भूमि (हैक्ट0में) :
12. प्रस्तावित कार्य का विवरण
  - i. गूल की लम्बाई एवं कास सैक्शन (मी0में) :
  - ii. पाइप लाइन ब्यास एवं लम्बाई (मी0में) :
  - iii. हौज / हाइड्रम संख्या एवं साइज :
13. लाभान्वित कृषकों की संख्या :
  - i. अनुसूचित जाति / अनुजनजाति :
  - ii. सामान्य :
  - iii. योग :

उक्त सूचनाओं एवं मानकों के अनुसार प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित प्रस्ताव जिला पंचायत को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा। अनुमोदित योजनाओं का विस्तृत प्राक्कलन विकासखण्डों में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा विभागीय मानकों एवं शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार तैयार किया जायेगा।

#### प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार करने हेतु प्रारूप

क्र० सं०	किये जाने वाले कार्य का विवरण	मात्रा	यूनिट	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सा०सि०गूल हेतु सेक्शन.....		कि०मी०	मानकदर 3 /iv के अनुसार	किमी०	
2	सा०सि०टैंक निर्माण हेतु साइज़.....		संख्या	3 /v के अनुसार	संख्या	
3	सा०सि० हाईड्रम निर्माण यूनिट..... साइज़.....		संख्या	3 /vi के अनुसार	संख्या	
4	वीयर निर्माण वीयर स्पान.....मी० गूल निर्माण...किमी.		संख्या किमी०	3 /vii के अनुसार	संख्या किमी०	
5	आर्टीजन निर्माण 0.50 किमी० गूल के साप		संख्या	5.00	संख्या	
6	मरम्मत कार्य				योजना की आवश्यकतानुसार	

## केन्द्रपुरोनिधानित एवं वाह्य सहायतित योजनायें

केन्द्र सरकार द्वारा 01 फरवरी 2002 से Guidelines for Accelerated Irrigation Benefit Programme, दिनांक 01.04.2005 से Modified Guidelines for Accelerated Irrigation Benefit Programme एवं दिसम्बर 2006 से Modified Guidelines for Accelerated Irrigation Benefit Programme जारी की गयी हैं, जिसकी प्रतियां इस मैनुअल के अन्त में परिशिष्ट 4ग एवं 4घ के रूप में संलग्न हैं। उत्तरांचल शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 31.03.2005 के द्वार इस सम्बन्ध में मानक व नियम निम्नवत् निर्धारित किए गये हैं :-

- इनसे सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रथम चयन सूची विभाग द्वारा भारत सरकार के मानदण्डों/मार्गनिर्देशों के अनुरूप निर्मित कर सम्बन्धित जिला पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी। सूची प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा इनका प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जायेगा। जिला पंचायत अनुपयुक्त परियोजनाओं को इस सूची से विलोपित कर सकती है। जिला पंचायत द्वारा प्राथमिकता क्रम निर्धारण सहित संस्तुत सूची को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जनपदवार परियोजनाओं का चयन किया जायेगा। योजनाओं की सूची को वरीयता निर्धारण करने एवं अस्वीकृत करने का अधिकार अन्तिम रूप से शासन का होगा।
- परियोजना विशेष के नाम से जल उपभोक्ता समूह का गठन किया जायेगा। यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक परियोजनाएं हैं तो तदनुसार एक से अधिक उपभोक्ता समूहों का गठन किया जायेगा। इसका पदेन अध्यक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान होगा। परियोजना से लाभान्वित होने वाले समस्त कृषक इसके सामान्य सदस्य एवं ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं जल प्रबन्धन समिति के पदेन सदस्य होंगे। इसके उपाध्यक्ष का चयन सामान्य सदस्यों में से सामान्य सदस्यों द्वारा जल उपभोक्ता समूह की खुली बैठक में बहुमत से किया जायेगा। विकासखण्ड में पदस्थापित लघु सिंचाई का कनिष्ठ अभियन्ता इस समूह का पदेन सचिव होगा।
- परियोजना का समस्त निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री का क्रय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से वित्तीय हस्त पुस्तिका के भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। श्रमिकों को कार्य पर उपभोक्ता समूह द्वारा लगाया जायेगा एवं समूह के उपाध्यक्ष द्वारा मस्टररोल दैनिक रूप से तैयार किया जायेगा तथा समूह के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया

जायेगा। परियोजना निर्माण पूर्ण होने से पूर्व परियोजना के श्रमांश की लागत का 3 प्रतिशत अंश परियोजना के रखरखाव हेतु सामान्य सदस्यों से आनुपातिक अंशदान के रूप में एकत्रित कर समूह के खाते में जमा किया जायेगा, जो ग्राम पंचायत के खाते से भिन्न होगा। यह खाता निकटवर्ती राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोला जायेगा। इस खाते का संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। परियोजना निर्माण के उपरान्त उपभोक्ता समूह को हस्तान्तरित की जायेगी।

- परियोजना के प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय अभिलेख सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई की अभिरक्षा में रहेंगे। इन अभिलेखों का अवलोकन जल उपभोक्ता समूह का कोई भी सदस्य अथवा कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा वरिष्ठ अधिकारीगण अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत जांच एजेन्सियों के कार्मिक किसी भी समय कर सकते हैं।
- सम्बन्धित ग्राम पंचायत जल उपभोक्ता समूह की संस्तुति पर आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा। परियोजना समाप्ति के तीन वर्षों के अन्तराल पर विशेष मरम्मत तथा भूस्खलन, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की मरम्मत हेतु धनराशि संसाधनों की सीमा में यथासम्भव राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।
- कार्य का मूल्यांकन लघु सिंचाई विभाग में प्रवृत्त वित्तीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। वर्ष में सम्पादित 5 प्रतिशत कार्यों की जांच शासन द्वारा नामित एजेन्सी द्वारा रैण्डम आधार पर/शिकायत प्राप्त होने पर कराई जायेगी।
- समय-समय पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय पर व्यय करने का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।
- जल उपभोक्ता समूह की प्रत्येक मास में एक बैठक अवश्य बुलाई जायेगी। बैठक आहूत करने का दायित्व इसके सचिव का होगा।

#### **अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु मानक :**

उत्तरांचल शासन द्वारा दिनांक 22.09.2006 से उत्तरांचल अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली 2006 लागू किये जाने के उपरान्त लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं के नियमावली की परिधि में आने वाले सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण उक्त नियमावली के अनुसार किया जायेगा। अभियन्त्रण सेवा से भिन्न अधिकारी व कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों पर निर्णय हेतु वही नियम लागू हैं, जो राज्य सरकार के सभी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू हैं।

\*\*\*\*\*

प्रेषक,

विभा पुरी दास,  
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लघु सिंचाई विभाग,  
उत्तरांचल-देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग

देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2005

**विशय :-** पंचायती-राज-व्यवस्था के अन्तर्गत, लघु सिंचाई विभाग में, जल-उपभोक्ता-समूह के माध्यम से सिंचाई-सहभागिता- प्रबन्धन-व्यवस्था।

महोदय,

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत, सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से, शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव निम्नानुसार जल उपभोक्ता समूहों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है।

(1) जिला सेक्टर एवं राज्य सैक्टर

जिला योजना एवं राज्य योजना की धनराशि शासन द्वारा जिला पंचायतों को स्थानान्तरित की जायेगी।

(अ) ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले कार्य

(I) सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं का चिन्हीकरण।

(II) सिंचाई परियोजना स्थल चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में, लघु सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार (मानक विभाग उपलब्ध करायेगा)।

(III) सिंचाई परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराना।

(क) जल श्रोत से माहवार उपलब्ध होने वाली जल की मात्रा का आंकलन।

(ख) जल श्रोत संरक्षण/अभिवर्धन हेतु किये जाने वाले कार्यों का विवरण।

(ग) प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।

(घ) गूल/पाईप लाईन की लम्बाई, कि०मी० में।

(ङ) हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई X चौड़ाई, मीटर में)।

(च) हाईड्रम की संख्या।

(छ) वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।

(ज) आर्टीजन/पम्पसेट का विवरण।

(झ) मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

सर्वेक्षण हेतु प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

(IV) बिन्दु-III के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में)। प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

(V) एकल ग्राम योजना का प्रस्ताव प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा। जिला पंचायत इन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी तथा धनराशि का स्थानान्तरण एकमुश्त ग्राम निधि में करेगी। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत यह धनराशि तीन बराबर किश्तों में धनराशि जल उपभोक्ता समूह के खातों

- (जिसका विवरण आगे है) में करेगी। प्रथम किश्त अग्रिम के रूप में दी जायेगी। इसके समायोजन के पश्चात द्वितीय किश्त अग्रिम में रूप में दी जायेगी।
- (VI) परियोजना विशेष के नाम से जल उपभोक्ता समूह का गठन किया जायेगा। यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक परियोजनायें हों तो तदनुसार एक से अधिक उपभोक्ता समूहों का गठन किया जायेगा। इसका पदेन अध्यक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान होगा। परियोजना से लाभान्वित होने वाले समस्त कृषक इसके सामान्य सदस्य एवं ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं जल प्रबन्धन समिति के सदस्य इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके उपाध्यक्ष का चयन सामान्य सदस्यों में से सामान्य सदस्यों द्वारा जल उपभोक्ता समूह की खुली बैठक में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में बहुमत से किया जायेगा। विकास खण्ड में पदस्थापित लघु सिंचाई विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता इस समूह का पदेन सचिव होगा।
- (VII) परियोजना का समस्त निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य जल उपभोक्ता समूह द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री एवं सेवाओं का क्रय/उपार्जन सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राक्कलन की धनराशि की सीमा तक इस समूह द्वारा ही किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि एक बार में परियोजना की लागत के 25 प्रतिशत से अधिक अग्रिम भुगतान नहीं किया जा सकता। परियोजना निर्माण पूर्ण होने के पूर्व परियोजना की श्रम लागत की 3:1 धनराशि अंशदान के रूप में परियोजना के रख-रखाव हेतु समूह के खाते में जमा होगी जो ग्राम पंचायत के खाते से भिन्न होगा। यह खाता निकटवर्ती राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोला जायेगा। इस खाते का संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।
- (VIII) परियोजना के तकनीकी एवं वित्तीय अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे। परियोजना के प्रशासनिक अभिलेख तथा तकनीकी अभिलेखों की सचिव द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियां उपाध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेंगी। इन अभिलेखों का अवलोकन जल उपभोक्ता समूह का कोई भी सदस्य अथवा कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा वरिष्ठ अधिकारीगण अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत जांच एजेन्सियों के कार्मिक किसी भी समय कर सकते हैं एवं इनकी सत्यापित प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।
- (IX) सम्बन्धित ग्राम पंचायत जल उपभोक्ता समूह की संस्तुति पर आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा। परियोजना समाप्ति के तीन वर्षों के अन्तराल पर विशेष मरम्मत तथा भूस्खलन, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की मरम्मत हेतु धनराशि संसाधनों की सीमा में यथासम्भव राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।
- (X) जल उपभोक्ता समूह द्वारा योजना का क्रियान्वयन/रख रखाव का कार्य लघु सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा मानक के अनुसार किया जायेगा। कार्य के लिये आवश्यक उपकरण, मशीनें इत्यादि उपलब्ध कराना लघु सिंचाई विभाग का उत्तरदायित्व होगा।
- (XI) उपभोक्ता समूह 25: अग्रिम सामग्री की व्यवस्था के अतिरिक्त उतने ही कार्यों/कार्य के भाग का भुगतान करेगी, जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं।
- (XII) कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई तथा प्रतिहस्ताक्षर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा तथा निरीक्षण/पर्यवेक्षण विभाग के विभिन्न स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
- (XIII) समय-समय पर प्राप्त धनराशि को निरर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित जल उपभोक्ता समूह का होगा।



- (XIV) जल उपभोक्ता समूह की प्रत्येक मास में एक बैठक अवश्य बुलाई जायेगी। बैठक आहूत करने का दायित्व इसके सचिव का होगा।
- (XV) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त अधिकतम छः माह में लेखा परीक्षा कराया जाना सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (XVI) वित्तीय हस्त पुस्तिका में वर्णित भण्डार क्रय सम्बन्धी समस्त प्राविधान इन कार्यों के सन्दर्भ में भी अक्षरशः लागू होंगे। इसे पालन कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जल उपभोक्ता समूह के सचिव का होगा। जनपद के लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता निर्माणाधीन परियोजनाओं के सन्दर्भ में प्रत्येक दो माह में इस हेतु अवश्य निरीक्षण करते रहेंगे।
- (ब) क्षेत्र पंचायत के समन्वय के अधीन किये जाने वाले कार्य
- (I) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं का चिन्हीकरण।
- (II) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का स्थलीय चयन क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में लघु सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार (मानक विभाग उपलब्ध करायेगा)।
- (III) सिंचाई परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण विकास खण्ड में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा। प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना प्रस्तर (अ) III के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- (IV) बिन्दु III के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।
- V) क्षेत्र के अन्तर्गत दो या दो अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।
- (VI) जिला पंचायत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त सिंचाई परियोजना के सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पड़ने वाले भाग का क्रियान्वयन/रख रखाव उस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तर 1(अ) (VI) के प्राविधानानुसार गठित जल उपभोक्ता समूह द्वारा किया जायेगा। ऐसे सभी जल उपभोक्ता समूह के बीच समन्वय का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र समिति के प्रमुख के नियन्त्रण में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (VII) उपरोक्त प्रस्तर 1 (अ) (VII) से लेकर (XVI) तक के प्राविधान इन कार्यों पर भी लागू होंगे।
- (2) केन्द्र पुरोनिधारित एवं वाह्य सहायतित योजनायें
- (I) इनसे सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रथम चयन सूची विभाग द्वारा भारत सरकार के मानदण्डों/मार्ग निर्देशों के अनुरूप निर्मित कर सम्बन्धित जिला पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी। सूची प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा इनका प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जायेगा। जिला पंचायत अनुपयुक्त परियोजनाओं को इस सूची से विलोपित कर सकती है। जिला पंचायत द्वारा प्राथमिकता क्रम निर्धारण सहित संस्तुत सूची को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जनपदवार परियोजनाओं का चयन किया जायेगा।
- (II) परियोजना विशेष के नाम से जल उपभोक्ता समूह का गठन किया जायेगा। यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक परियोजनायें हों तो तदनुसार एक से अधिक उपभोक्ता समूह का गठन किया जायेगा। इसका पदेन अध्यक्ष, सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान होगा। परियोजना से लाभान्वित होने वाले समस्त कृषक इसके सामान्य

सदस्य एवं ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं जल प्रबन्धन समिति के सदस्य इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके उपाध्यक्ष का चयन सामान्य सदस्यों में से सामान्य सदस्यों द्वारा जल उपभोक्ता समूह की खुली बैठक में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में बहुमत से किया जायेगा। विकास खण्ड में पदस्थापित लघु सिंचाई विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता इस समूह का पदेन सचिव होगा।

(III) परियोजना का समस्त निर्माण, मरम्मत एवं रख रखाव कार्य जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री का क्रय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से वित्तीय हस्त पुस्तिका के भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। श्रमिकों को कार्य पर उपभोक्ता समूह द्वारा लगाया जायेगा एवं समूह के सचिव द्वारा मस्टरोल तैयार किया जायेगा तथा समूह के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। परियोजना निर्माण पूर्ण होने से पूर्व परियोजना में श्रमांश की लागत की

3 प्रतिशत धनराशि परियोजना के रख रखाव हेतु सामान्य सदस्यों से आनुपातिक अंशदान के रूप में एकत्रित कर समूह के खाते में जमा होगी, जो ग्राम पंचायत के खाते से भिन्न होगा। यह खाता निकटवर्ती राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोला जायेगा। इस खाते का संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। परियोजना निर्माण के उपरान्त उपभोक्ता समूह को हस्तान्तरित की जायेगी।

(IV) परियोजना के प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय अभिलेख सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई की अभिरक्षा में रहेंगे। परियोजना के प्रशासनिक तथा तकनीकी अभिलेखों की अधिशासी अभियन्ता द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियाँ उपाध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेंगी। इन अभिलेखों का अवलोकन जल उपभोक्ता समूह का कोई भी सदस्य अथवा कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा वरिष्ठ अधिकारीगण अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत जांच एजेन्सियों के कार्मिक किसी भी समय कर सकते हैं एवं इनकी सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

(V) सम्बन्धित ग्राम पंचायत जल उपभोक्ता समूह की संस्तुति पर आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा। परियोजना समाप्ति के तीन वर्षों के अन्तराल पर विशेष मरम्मत तथा भूस्खलन, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की मरम्मत हेतु धनराशि संसाधनों की सीमा में यथासम्भव राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।

(VI) कार्य का मूल्यांकन लघु सिंचाई विभाग में प्रवृत्त वित्तीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। वर्ष में सम्पादित 5 प्रतिशत कार्यों की जांच शासन द्वारा नामित एजेन्सी द्वारा रैंडम आधार पर/शिकायत प्राप्त होने पर कराई जायेगी।

(VII) समय-समय पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।

(VIII) जल उपभोक्ता समूह की प्रत्येक मास में एक बैठक अवश्य बुलाई जायेगी। बैठक आहूत करने का दायित्व इसके सचिव का होगा।

भवदीया,

(विभा पुरी दास)  
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 338 / II-2004/2005 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ।
2. उपसलाहकार, लघु सिंचाई, योजना आयोग, भारत सरकार ।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूँ मण्डल, नैनीताल ।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन ।
5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल शासन ।
6. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
7. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तरांचल शासन ।
8. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल ।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल ।
12. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल ।
13. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल ।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग ।
15. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग ।
16. समस्त सहायक एवं कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग ।
17. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तरांचल ।
18. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम विकास परियोजना, उत्तरांचल ।
19. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तरांचल ।
20. गार्ड फाईल ।

(डा०पी०एस०गुसांई)  
अपर सचिव

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष,  
जिला पंचायत,  
उत्तरांचल।

ग्राम्य विकास, पंचायती राज एवं लघु सिंचाई विभाग देहरादून दिनांक जुलाई, 05

**विषय :** पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या 338/।।-2004/2005 दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव हेतु पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला एवं राज्य सैक्टर की लघु सिंचाई योजना हेतु जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था लागू की गयी है। जिसकी छाया प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। साथ ही लघु सिंचाई विभा में सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को निर्देशित करने का कष्ट करें कि ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त कर, प्रारम्भिक प्राक्कलन संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार कर जिला पंचायत को प्रेषित करें तथा उन्हीं के अनुरूप जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जिला पंचायत से अनुमोदन के उपरान्त योजनायें प्रस्तावित कर शासन को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

**संलग्न : उक्तानुसार।**

भवदीय

(पी0के0 महान्ति)

सचिव,

ग्राम्य विकास, पंचायतीराज  
एवं लघु सिंचाई विभाग,  
उत्तरांचल शासन, देहरादून

**संख्या /ए0पी0एस0/ल0सिं0/2005**

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल।
- 2- अपर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
- 3- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
- 4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी/हल्द्वानी।
- 6- समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।

(पी0के0 महान्ति)

सचिव,

**पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था**

**जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर :**

**ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले कार्य –**

- A– सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं को चिन्हींकरण : ग्राम में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध जल श्रोत के अनुसार योजना चिन्हींकरण का कार्य किया जायेगा।
- B– सिंचाई परियोजना का स्थल चयन : ग्राम में चिन्हित योजना का ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चयन किया जायेगा, जिसमें उपलब्ध जल श्रोत तथा कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना का चयन किया जायेगा। योजना का हेड सुरक्षित स्थान पर हो तथा हर समय पानी उपलब्ध हो।
- C– सिंचाई परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराना :-
- 1–जल श्रोत से माह मई, जून व नवम्बर में उपलब्ध होने वाली जल की मात्रा का आंकलन :- इसमें ग्राम के पास उपलब्ध श्रोत का जलश्राव कितना है?, का मापन कर श्रोत का जलश्राव उपलब्ध कराना होगा, जो लीटर/मिनट या क्यूसेक में नापा जायेगा। जल श्राव का मापन वर्ष के ग्रीष्मकाल में मई एवं जून तथा शरद काल में नवम्बर माह के किया जायेगा।
- 2–जल श्रोत संरक्षण/अभिवर्धन हेत किये जाने वाले कार्य का विवरण :- जिस श्रोत से सिंचाई हेतु जल लिया जाना है, उसके संरक्षण एवं अभिवर्धन हेतु क्या उपचार किया जा सकता है, का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा।
- 3–प्रतिवेदित क्षेत्रफल :- प्रस्तावित योजना में कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी? का विवरण राजस्व लेखे (खसरा नक्शा) से दिया जायेगा।
- 4–गूल/पाइप लाइन :- विभागीय मानकों के अनुसार प्रति किमी<sup>0</sup> 6 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन का न्यूनतम मानक है। उपलब्ध जल श्रोत एवं कृषि योग्य भूमि के आधार पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा डिजाईन किया जायेगा। 0.20 X .20 मी<sup>0</sup> सैक्शन की औसत दर 4.00 लाख/किमी<sup>0</sup> व 0.30 X 0.25 मी<sup>0</sup> सैक्शन की औसत दर 6.00 लाख/किमी<sup>0</sup> होगी, इससे अधिक सैक्शन हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा परामर्श कर प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।
- 5–हौज :- भूमि की उपलब्धता एवं सिंचाई जल श्रोत पर उपलब्ध जलश्राव के आधार पर हौज की संख्या एवं आकार निर्धारित किया जायेगा। उदाहरणार्थ 1 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 4.00 X 2.50 X 1.50 मी<sup>0</sup> आकार का 1 टैंक, 2

हैक्टियर भूमि की सिंचाई हेतु 4.00 X 2.50 X 1.50 मी० के दो टैंक या 5.00 X 3.00 X 1.50 मी० साइज का एक टैंक प्रस्तावित किया जाना होगा। 4.00 X 2.50 X 1.50 मी० साइज के टैंक की औसत लागत 50000.00 रु० प्रति टैंक तथा 5.00 X 3.00 X 1.50 मी० साइज के टैंक की औसत लागत 80000.00 रु० प्रति टैंक निर्धारित है।

**6-हाइड्रम :-** उपलब्ध जलश्राव एवं कृषि योग्य भूमि के आधार पर हाइड्रम की संख्या निर्धारित की जायेगी। एक यूनिट की सिंचन क्षमता का मानक 6 हैक्टियर है तथा 4" X 2" साइज की एक यूनिट हेतु औसत लागत रु० 3.50 लाख, 6" X 3" की एक यूनिट हेतु 4.50 लाख तथा 8" X 4" की एक यूनिट हेतु 5.50 लाख की धनराशि से अधिक व्यय नहीं हो सकेगा। हाइड्रम स्थापना हेतु स्थल पर उपलब्ध ड्रॉप तथा ऊँचाई के अनुपात का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। यह प्रयास किया जाय कि सिंचाई हेतु प्रस्तावित भूमि उपलब्ध ड्रॉप के 10 गुने से अधिक ऊँचाई पर न हो तथा 3.00 मी० से कम एवं 6.0 मी० से अधिक का ड्रॉप न हो। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा हाइड्रम हेतु प्रस्तावित भूमि की सिंचाई हेतु आवश्यक हाइड्रम की संख्या एवं आकार की गणना कर डिजाइन तैयार किया जायेगा, जिसके अनुरूप प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

**7-वीयर :-** ऐसे स्थान जहाँ पर स्थायी श्रोत (Perennial Source) उपलब्ध हैं, जिसका स्तर ऊँचा करने से अधिक मात्र में खेतों की सिंचाई सम्भव हो परन्तु स्थायी रूप से उनका स्तर ऊँचा करने से ऊपर (Up Stream) के खेतों के लिए वर्षा ऋतु में वाटर लागिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके समाधान के लिए गेटेड स्ट्रकचर की आवश्यकता होगी। इसकी लागत रु० 6.50 लाख प्रति मी० स्पान, को मानक मानकर तथा इससे बनने वाली फीडिंग चैनल का निर्माण 6.50 लाख रु० प्रति कि०मी० मानक मानकर प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाय।

**8-आर्टीजन :-** यह झरने का ही रूप है, परन्तु यह प्रायः समतल व कम ढाल वाले स्थानों पर पाये जाते हैं। इनको फ्लोविंग कूप अथवा कनफाइन्ड जल प्रस्तर कूप कहते हैं। किसी भी ढालू कनफाइन्ड जल प्रस्तर में भूतल से पन्चर करने पर जल दबाव के कारण बहने वाले झरने को आर्टीजन कहते हैं। आर्टीजन निर्माण पर 1.75 लाख रु० प्रति आर्टीजन तथा इस पर 0.50 किमी० गूल निर्माण की लागत रु० 3.25 लाख, कुल 5.00 लाख प्रति यूनिट औसत व्यय मानकर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

**9—मरम्मत की आवश्यकता का विवरण :-** योजना के स्थलीय आवश्यकता के आधार पर प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा इस हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से परामर्श आवश्यक होगा।

### सर्वेक्षण हेतु प्रारूप

- 1— योजना का नाम :
- 2— मद का नाम :
- 3— योजना स्थल का नाम :
- 4— ग्राम पंचायत :
- 5— विकासखण्ड :
- 6— जनपद :
- 7— सर्वेक्षण का दिनांक :
- 8— श्रोत का नाम :
- 9— उपलब्ध जलश्राव (ली०/मि० या क्यू०/सेक० में) :
- 10— जलश्राव मापन का दिनांक :
- 11— उपलब्ध कृषि योग्य भूमि (हैक्ट०में) :
- 12— प्रस्तावित कार्य का विवरण :
  - I— गूल की लम्बाई एवं क्रास सैक्शन (मी०में) :
  - II— पाइप लाइन ब्यास एवं लम्बाई (मी०में) :
  - III— हौज/हाइड्रम संख्या एवं साइज :
- 13— लाभान्वित कृषकों की संख्या :
  - I— अनुसूचित जाति /अनु०जनजाति :
  - II— सामान्य :
  - III— योग :

उक्त सूचनाओं एवं मानकों के अनुसार प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित प्रस्ताव जिला पंचायत को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा। अनुमोदित योजनाओं का विस्तृत प्राक्कलन विकासखण्डों में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा विभागीय मानकों एवं शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार तैयार किया जायेगा।

## प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार करने हेतु प्रारूप

क्र० सं०	किये जाने वाले कार्य का विवरण	मात्रा	यूनिट	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सा०सि०गूल हेतु सेक्शन.....		कि०मी०	मानकदर 3 /iv के अनुसार	किमी०	
2	सा०सि०टैंक निर्माण हेतु साइज़.....		संख्या	3 /v के अनुसार	संख्या	
3	सा०सि० हाईड्रम निर्माण यूनिट..... साइज़.....		संख्या	3 /vi के अनुसार	संख्या	
4	वीयर निर्माण वीयर स्पान.....मी० गूल निर्माण...किमी.		संख्या किमी०	3 /vii के अनुसार	संख्या किमी०	
5	आर्टीजन निर्माण 0.50 किमी० गूल के साप		संख्या	5.00	संख्या	
6	मरम्मत कार्य				योजना की आवश्यकतानुसार	

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड,  
देहरादून।



प्रेषक,

विनोद फोनिया,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 05, सितम्बर 2008

विषय : पंचायती-राज-व्यवस्था के अन्तर्गत, लघु सिंचाई विभाग में, जल-उपभोक्ता-समूह के माध्यम से सिंचाई-सहभागिता-प्रबन्धन- व्यवस्था ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 338/॥-2004/2005 दिनांक 31-03-2005 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत, सिंचाई-सहभागिता-प्रबन्धन-व्यवस्था के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, उक्त शासनादेश में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शासनादेश दिनांक 31-03-2005 के प्रस्तर-2 के अन्त में, निम्नलिखित अंश जोड़ा जाता है:-

1. कार्य का मापन होने से पूर्व

यदि निर्माण-कार्यों की मापें, कनिश्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा माप-पुस्तिका में, अंकन करने से पूर्व ही, जल उपभोक्ता समूह को निर्गत तथा प्राप्त सामग्री एवं उपभोग की गई सामग्री का दुरुपयोग परिलक्षित होता है अथवा उपभोक्ता समूह द्वारा सामग्री को बेचे जाने एवं गायब कर दिये जाने आदि का प्रकरण प्रकाश में आता है, तो ऐसी स्थिति में, निर्गत-सामग्री की, शत-प्रतिशत (100) जिम्मेदारी, जल-उपभोक्ता-समूह की होगी तथा तदनुसार ही शासन को हुई क्षति की धनराशि की वसूली, जल-उपभोक्ता-समूह के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से निम्नानुसार की जायेगी:-

(अ)	जल उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष से	-	50 प्रतिशत
(ब)	जल उपभोक्ता समूह के उपाध्यक्ष से	-	50 प्रतिशत
	योग	-	100 प्रतिशत

2. कार्य का मापन होने के पश्चात:-

यदि निर्माण-कार्यों की मापें, कनिश्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा माप पुस्तिका में अंकन कर दिये जाने के पश्चात कोई अनियमिततायें प्रकाश में आती है, तो जल-उपभोक्ता-समूह के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों आदि का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित कर, सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, शासन को हुई धनराशि की हानि की वसूली, निम्नानुसार की जायेगी:-

(I) योजना के नियोजन (संसदपदह) में कमी/दोष पाये जाने पर :-

इस सम्बन्ध में शासन को हुई हानि का उत्तरदायित्व निम्न प्रकार निर्धारित होगा:-

1 कनिष्ठ अभियन्ता से कुल हानि का	50 प्रतिशत
2 सहायक अभियन्ता से कुल हानि का	35 प्रतिशत
3 अधिशासी अभियन्ता से कुल हानि का	15 प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

(II) योजना के क्रियान्वयन में कमी पाये जाने पर:-

इस सम्बन्ध में शासन को हुई हानि का उत्तरदायित्व निम्न प्रकार निर्धारित होगा:-

1 अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	25 प्रतिशत
2 उपाध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	25 प्रतिशत
3 कनिष्ठ अभियन्ता 50 प्रतिशत का 50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
4 सहायक अभियन्ता 50 प्रतिशत का 35 प्रतिशत	17.5 प्रतिशत
5 अधिशासी अभियन्ता 50 प्रतिशत का 15 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

3- निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में, खराबी/दोष पाये जाने पर :-

योजनाओं के निर्माण में उपयोग हेतु आवश्यक निर्माण सामग्री (सीमेंट, सरिया, पाईप, बजरी आदि ) मानक के अनुसार न होने पर उससे शासन को हुई क्षति की धनराशि की वसूली निम्नानुसार की जायेगी:-

(I) विभाग द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री:-

इस सम्बन्ध में शासन को हुई हानि का उत्तरदायित्व निम्न प्रकार निर्धारित होगा:-

1 कनिष्ठ अभियन्ता (भण्डार आपूर्ति)	50 प्रतिशत
2 सहायक अभियन्ता (भण्डार आपूर्ति)	35 प्रतिशत
3 अधिशासी अभियन्ता (भण्डार आपूर्ति)	15 प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

(II) उपभोक्ता समूह द्वारा एकत्रित/आपूर्ति की गयी सामग्री के सम्बन्ध में:-

इस सम्बन्ध में शासन को हुई हानि का उत्तरदायित्व निम्न प्रकार निर्धारित होगा:-

(अ) कार्य का मापन होने के पूर्व:-

1 अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	50 प्रतिशत
2 उपाध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	50 प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

(ब) कार्य का मापन होने के पश्चात:-

1 अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	25 प्रतिशत
2 उपाध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	25 प्रतिशत
3 कनिष्ठ अभियन्ता 50 प्रतिशत का 50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
4 सहायक अभियन्ता 50 प्रतिशत का 35 प्रतिशत	17.5 प्रतिशत
5 अधिशासी अभियन्ता 50 प्रतिशत का 15 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

4. जिला योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सीधे उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सम्बन्ध में:-

जिला योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत जिला पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सीधे उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो जल-उपभोक्ता-समूह के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों आदि का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित कर, सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, शासन को हुई धनराशि की हानि की वसूली, निम्नानुसार की जायेगी:-

(I) कार्य के मापन से पूर्व:-		
(अ) जल उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष से	-	50 प्रतिशत
(ब) जल उपभोक्ता समूह के उपाध्यक्ष से	-	50 प्रतिशत
योग	-	100 प्रतिशत
(II) कार्य के मापन के पश्चात:-		
1 अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह		33 प्रतिशत
2 उपाध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह		33 प्रतिशत
3 कनिष्ठ अभियन्ता/सचिव जल उपभोक्ता समूह		20 प्रतिशत
4 सहायक अभियन्ता		14 प्रतिशत
योग		100 प्रतिशत

5. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व जल उपभोक्ता समूह एवं विभाग के सक्षम प्राधिकारी के मध्य 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जायेगा।

6. अनुबन्ध पत्र से सम्बन्धित अभिलेख अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में रहेंगे, जिसकी प्रति सहायक अभियन्ता के कार्यालय में रखी जायेगी तथा कनिष्ठ अभियन्ता एवं जल उपभोक्ता समूह को उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 338 दिनांक 31.03.2005 की अन्य शर्तें/व्यवस्था यथावत रहेंगी।

संलग्न:- अनुबन्ध पत्र का प्रारूप

भवदीय

(विनोद फोनिया)  
सचिव

संख्या / 11-2004-14(05)/2005 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार।
  2. उपसलाहकार, लघु सिंचाई, योजना आयोग, भारत सरकार।
  3. आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल/समस्त जिलाधिकारी/उत्तराखण्ड।
  4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  6. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग।
10. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विनोद फोनिया)  
सचिव

अनुबन्ध-पत्र

अनुबन्ध पत्र संख्या.....

दिनांक.....

लघु-सिंचाई-विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाओं के तहत जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से निर्मित किये जा रहे कार्यों के क्रियान्वयन, संचालन एवं रख-रखाव हेतु यह अनुबन्ध-पत्र शासनादेश संख्या 338 / 11-2004 / 2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेश 1373 / 11-2004-14(05) / 2005 दिनांक 05-09-2008 में निहित प्राविधानों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

योजना का नाम: .....

स्वीकृति वर्ष .....

कलस्टर संख्या .....

उपयोजना का क्रमांक .....

ग्राम सभा का नाम: .....

विकास खण्ड: .....

जनपद: .....

कार्य स्थल की स्थिति .....

(तोक, खड्ड, कहां से कहां तक आदि) .....

.....

कार्य प्रारम्भ करने की तिथि .....

कार्य पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि .....

कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि .....

योजना का भौतिक लक्ष्य

(1) गूल

(अ) लम्बाई (मीटर में) .....

(ब) क्रॉस सैक्शन .....

(2) हौज

(अ) संख्या .....

(ब) साईज .....

(3) हाईड्रम

(अ) संख्या .....

(ब) साईज .....

(4) वियर

(अ) संख्या .....

(ब) लम्बाई .....

(5) पाईप लाईन

(अ) व्यास .....

(ब) लम्बाई	.....
योजना का सिंचन क्षमता (हेक्टेयर में)	.....
परियोजना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री (विभाग द्वारा निर्गत)	.....
(अ) सीमेंट	.....
(ब) सरिया	.....
(स) पाईप	.....

उक्त अनुबन्ध में प्रथम पक्ष अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड.....  
अथवा उनके अधिकृत सहायक अभियन्ता/कनिश्ठ अभियन्ता ल0सिं0 उपखण्ड.....  
होंगे।

प्रथम पक्ष  
उक्त अनुबन्ध में द्वितीय पक्ष जल उपभोक्ता समूह (WUG) के अध्यक्ष एवं  
उपाध्यक्ष होंगे।

द्वितीय पक्ष

### नियम एवं शर्तें

1. शासनादेश संख्या 338/॥-2004/2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेश संख्या 1373/॥-2004-14(05)/2005 दिनांक 05.09.2008 के समस्त प्राविधान भली भांति पढ़ लिया गया है तथा दोनों पक्षों को मान्य है।
2. योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा जल उपभोक्ता समूह को निर्गत समस्त सामग्री की प्राप्ति, रख-रखाव एवं योजना के निर्माण में उपयोग उपभोक्ता समूह द्वारा किया जायेगा तथा दुरुपयोग होने पर उक्त शासनादेशों के अनुरूप की गई कार्यवाही दोनों पक्षों को मान्य है।
3. परियोजना विशेष के नाम से जल उपभोक्ता समूह का गठन किया जायेगा। यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक परियोजनायें हों तो तदनुसार एक से अधिक उपभोक्ता समूहों का गठन किया जायेगा, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी होगा व्यवसायिक नहीं, गठन की सूचना लिखित रूप में सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें नाम पता व दूरभाष नम्बर आदि भी उपलब्ध कराये जायेंगे। जल उपभोक्ता समूह का गठन निम्नवत् होगा।
4. सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष
5. समूह का उपाध्यक्ष ग्राम सभा की खुली बैठक में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की उपस्थिति में सामान्य सदस्यों में से ही बहुमत से चुना जायेगा। उपाध्यक्ष
6. सम्बन्धित कनिश्ठ अभियन्ता समूह का पदेन सचिव होगा पदेन सचिव
7. परियोजना से लाभान्वित होने वाले समस्त कृषक इसके सामान्य सदस्य होंगे। सामान्य सदस्य

8. सम्बन्धित ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं जल प्रबन्धन समिति के सदस्य समूह के सदस्य होंगे। पदेन सदस्य
9. योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन एवं रख-रखाव शासनादेश संख्या 338/||-2004/2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेश संख्या 1373/||-2004-14(05)/2005 दिनांक 05.09.2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
10. योजना के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री समय से निर्गत किये जाने की जिम्मेदारी विभाग की होगी। विभाग द्वारा निर्गत सामग्री जल उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त की जायेगी।
11. योजना निर्माण की प्रगति प्रत्येक माह के 20 तारीख तक उपभोक्ता समूहों द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को दी जायेगी।
12. योजना निर्माण के पश्चात योजना जल उपभोक्ता समूह को हस्तान्तरित की जायेगी तथा इसका उपयोग प्रस्तावित कृषि भूमि की सिंचाई हेतु किया जायेगा तथा उन्नत फसल चक्र अपनाया जायेगा।
13. योजना क्षतिग्रस्त होने पर इसकी मरम्मत एवं रख-रखाव जल उपभोक्ता समूह द्वारा किया जायेगा।
14. जल उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कार्य की मात्रा के आधार पर आवश्यक श्रमिक कार्य पर लगायेंगे ताकि कार्य समय से पूर्ण हो सके।
15. योजना पर कार्य कराने का दायित्व जल उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का होगा। योजना निर्माण हेतु विभाग द्वारा निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, सरिया, पाईप आदि) निर्गत होने के पश्चात कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने, कार्य की गुणवत्ता खराब होने अथवा सामग्री के दुरुपयोग होने पर आवश्यक नोटिस के उपरान्त शासनादेश सं0 338/||-2004/2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेश सं01373/||-2004-14(05)/2005 दिनांक 05.09.2008 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत भी कार्यवाही की जायेगी।
16. यदि गठित जल उपभोक्ता समूह द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा हो या कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रहा हो तथा आवश्यक नोटिस के उपरान्त विभाग को यह संतुष्टि हो जाती है कि कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सकता तो, नये जल उपभोक्ता समूह का गठन कर कार्य समय से पूर्ण कराने का पूर्ण अधिकार विभाग के सम्बन्धित लघु सिंचाई खण्ड को होगा।

प्रथम पक्ष

- |  |   |
|--|---|
| (1) हस्ताक्षर<br>नाम.....<br>कनिष्ठ अभियन्ता<br>उपखण्ड.....<br>विकासखण्ड.....<br>जनपद..... | (2) हस्ताक्षर<br>नाम.....<br>सहायक अभियन्ता<br>उपखण्ड.....<br>विकासखण्ड.....<br>जनपद..... |
|--|---|

द्वितीय पक्ष

- |  |  |
|--|--|
| (1) हस्ताक्षर<br>नाम.....<br>अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह<br>ग्राम व ग्राम पंचायत.....<br>विकासखण्ड.....<br>जनपद..... | (2) हस्ताक्षर<br>नाम.....<br>उपाध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह<br>ग्राम व ग्राम पंचायत.....<br>विकासखण्ड.....<br>जनपद..... |
|--|--|

प्रतिहस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
अधिशाली अभियन्ता  
लघु सिंचाई खण्ड.....

संलग्नक:-

1. योजना का आगणन।
2. शासनादेश संख्या 338 दिनांक 31.03.2005 की प्रति।
3. शासनादेश संख्या           दिनांक           की प्रति।



**GUIDELINES FOR  
ACCELERATED  
IRRIGATION BENEFITS  
PROGRAMME  
(EFFECTIVE FROM 1<sup>ST</sup> FEBRUARY 2002)**

**GUIDELINES FOR ACCELERATED IRRIGATION BENEFITS PROGRAMME**

**(MODIFIED DURING 2001-2002)**

**A) GENERAL**

- i) Only major/ medium projects which are in advanced stage of construction and Surface Minor Irrigation schemes in special category States will be considered for inclusion under the programme. However, Major/ Medium Irrigation Projects benefiting KBK Districts of Orissa in initial stages of construction will be included.
- ii) Eligible projects covered under the programme during previous years will get preference over new projects proposed for inclusion during current year.
- iii) To avoid thin spreading of resources, these states have to concentrate only on few promising projects.
- iv) Only those major/ medium projects will be considered which have the investment clearance of the Planning Commission.
- v) The projects which are already receiving assistance from external/ domestic agencies such as NABARD will not be eligible for Central Loan Assistance (CLA) under the programme. However, the components of such projects which are not covered under such assistance may be considered for inclusion under the programme.
- vi) On large projects, assistance will be given for their phased completion so that benefits could start flowing early with comparatively smaller investments.
- vii) Projects benefiting tribal/ drought prone areas would be given due preference provided they are otherwise eligible.
- viii) Priority will be given to inter-state projects. All party States will be eligible for assistance under the programme individually.
- ix) Projects with larger irrigated area unit of additions investments will be preferred.

**B) CLASSIFICATION OF PROJECTS**

Following categories of projects will be eligible for assistance:

- i) Approved projects or components thereof costing Rs. 500 crores or more on which substantial investment has been made. However, projects on which more than 50% of the estimated expenditure has already been incurred shall get higher priority. Other cases will be considered only if funds are available after meeting the demands of priority projects.
- ii) Approved projects which are in advanced stage of completion and could be completed in the next four agricultural seasons i.e. in a period of about two years irrespective of total estimated cost.
- iii) Minor Irrigation Projects in General Category States are not eligible for CLA under AIBP. However, Minor Surface Irrigation Schemes (both new as well as on-going) of States of North East Hilly (H.P., Sikkim, J&K and Uttaranchal) and drought prone KBK districts of Orissa which are approved by State TAC will be eligible under the programme. However, the State Government should submit only those proposals where the individual schemes are benefiting irrigation potential of at least 20 ha. and group of schemes (within a radius of 5 kms.) benefiting total ultimate irrigation potential of at least 50 ha. The proposal of schemes should have benefit cost ratio of

more than 1 and the development cost of these schemes per ha. should not exceed Rs. 1.00 lakh.

**C) CRITERIA FOR CATEGORISING A STATE AS REFORMING**

- i) At the end of one year calculation & communication of data by the State Government of existing projects category-wise relating to actual O&M as Rs. per ha. and net revenue collection.
- ii) At the end of three years – Increase water rates to enable allocation of Rs. 225/ ha. for MI schemes and Rs. 450/ ha. to Major/ Medium from revenue earned without subsidy as per XI Finance Commission.
- iii) At the end of 5 years – Further increase water rates to meet full O&M costs for all categories of projects.

**D) MODE OF DISBURSEMENT**

- i) CLA will be released on yearly basis in two instalments. The unutilized funds approved for the project will lapse on the expiry of financial year. CLA approved for States will be limited to the ceilings fixed by the Planning Commission for it under AIBP.
- ii) The State Governments should confirm the provision of required budget outlay (i.e. the Central share & the State share) in the State's annual budget plan.
- iii) Central Loan Assistance under the programme will be in the form of loan at the rate of interest prescribed by the Ministry of Finance from time to time.
- iv) The loan under the programme will be repayable in twenty equal instalments together with in interest on the outstanding balance commencing from the following year. However, 50% of the loan will enjoy a five-year initial grace period after which repayment of these loans will be affected in fifteen equal instalments. The loans annually payable will be recovered in 10 equally monthly instalments commencing from 15<sup>th</sup> June every year.
- v) The States would be required to submit updated Statements of Expenditure on the project within 9 months of the completion of the financial year.
- vi) CLA for the projects will be provided to the 'Reforming States' under General Category in the Ratio of 4:1 (Centre: State) in case they rationalize their water rates in such a way as to recover full O&M cost of irrigation projects in 5 years. The "Reforming States" in special category (N.E. States, hilly states of Sikkim, J&K, Uttaranchal, Himachal Pradesh and KBK Districts of Orissa), i.e. special category States/ regions will be provided central assistance in full without any State's share if they rationalize their water rates in such a way so as to recover full O&M cost of irrigation projects in 5 years
- vii) Concerned State Government will give an undertaking as per the format enclosed for rationalization of water rates. (Annexure-II)
- viii) In case of defaulting states, additional central share as relaxed norms given under AIBP will be treated as withdrawn and recovered fully from the States with interest as prescribed by the Ministry of Finance. Further CLA to defaulting States will be provided as per existing norms.
- ix) Funding pattern for States which do not rationalize their rates to cover O&M cost in a time bound manner i.e. within 5 years will remain unchanged i.e. CLA to general category States will be continued to be provided in the ratio 2:1 (Centre: State) and to Special Category States in the ratio of 3:1 (Centre: State).

- x) The 2<sup>nd</sup> instalment of CLA will be released when the expenditure reaches 70% of the first instalment of CLA together with the State share.
- xi) Up to 15% of CLA will be provided for meeting establishment expenditure to be adjusted against the State's share.
- xii) The States which incur full expenditure on releases made in a year by March, may draw the first instalment or a part of it in April subject to availability of adequate funds. This release is adjustable in subsequent release.

**E) MONITORING OF PROJECTS**

- i) Monitoring system as given below is proposed for the projects availing under the programme:-
- ii) A comprehensive physical and financial periodical monitoring of major/ medium projects by central Water Commission with emphasis on quality control.
- iii) Monitoring of MI schemes has to be done by a State Government mechanism independent of construction agencies. These schemes would also be monitored periodically and assessed against predetermined targets by CWC/ Ministry of Water Resources. The State Govts. should provide sufficient O&M funds for these schemes and on completion preferably hand over to local Panchayats/ Water Users Associations (WUAs).
- iv) Monitoring by the Ministry of Programme Implementation.

**F) FAST TRACK PROGRAMME**

- i) Only the approved major & medium irrigation projects which can be completed in one year (two working seasons) will be included under this programme.
- ii) The projects will be fully funded by the Centre by providing 100% loan. State Governments should, however, confirm full budget outlay in State Plan.
- iii) Establishment expenditure of the projects getting CLA under Fast Track Programme has to be entirely borne by the States.
- iv) The releases will be made in 2 instalments of 50% each.
- v) The progress of works will be closely monitored by the Central Water Commission with special reference to quality control and the release of second instalment will be based on the recommendations of the CWC.

**MODIFIED GUIDELINES FOR THE**  
**ACCELERATED IRRIGATION BENEFITS PROGRAMME**  
**EFFECTIVE FROM 1.4.2005**

**MAJOR & MEDIUM IRRIGATION PROJECTS**

**A) ELIGIBILITY CRITERIA FOR FUNDING**

1. Only approved major and medium irrigation projects i.e. projects which have been accorded investment approval by the Planning Commission, which are in an advanced stage of construction and can be completed in the next four (4) financial years and which are not receiving any other form of assistance (NABARD, external paid, etc.) can be considered for inclusion in the programme. Components of projects not receiving other assistance can also be included under the programme. To avoid thin spreading of resources, State Governments will have to concentrate only on a few promising projects.
2. Only on completion of one project under the programme, inclusion of another project will be considered. However, Fast Track Projects and pre Fifth and Fifth Plan projects can be included in this programme without this stipulation.
3. For the KBK districts of Orissa, projects even in the initial stage of construction can be included.
4. The following categories will get priority for inclusion in the programme:
  - (i) projects benefiting tribal/ drought prone areas
  - (ii) inter-State projects (All party States will be eligible individually for assistance).
  - (iii) projects with larger irrigated area per unit of additional investment.
5. For large projects, assistance will be given for their phased completion so that additional benefits can start flowing early. Projects on which more than 50% of the estimated cost has been incurred will be given priority.
6. Extension, Renovation, Modernization (ERM) projects can be included subject to following conditions:
  - (a) can be permitted in States which have no major or medium projects to pose under AIBP and have thus not been availing AIBP.
  - (b) can be permitted:
    - (i) in States which have agreed to reform in water sector i.e. step up water rates to enable meeting full O&M cost over 5 years. (So far only Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Orissa and Jharkhand have signed necessary MoU).
    - (ii) in States which have enacted Participatory Irrigation Management legislation.
    - (iii) for ERM projects where new potential is also envisaged with water saved and not merely restoration of lost potential.

To ensure that funds do not flow only to ERM projects, not more than 10% of aggregate annual allocation under AIBP will be for ERM and 90% will thus be for completion of major and medium projects.

7. State Governments will be required to enter into a MoU with the MoWR (**Annexure-I**) for each individual project under the programme indicating balance cost, balance potential, year-

wise phasing of expenditure and balance potential and agreement to complete the project in 4 financial years with target completion date.

## **B) TERMS OF FUNDING AND MODE OF DISBURSEMENT**

1. The assistance under the programme will be extended in the ratio 2:1 (Centre: State) in the case of non-special category States and 3:1 (Centre: State) in the case of special category States on a projectised mode.
2. The assistance will be on the pattern of normal central assistance i.e. 70% loan & 30% grant in the case of non-special category States and 10% loan and 90% grant in the case of special category States and KDK districts of Orissa.
3. The loan component of the assistance is to be raised by the States themselves from market borrowings and only the grant component will be released by the Centre.
4. States which are considered fiscally weak and not being able to raise loan component by market borrowing, the Central Government would raise loan financing for the loan component of the Central assistance to such States.
5. The drought-prone areas, tribal areas and flood-prone areas in the country, to be identified in consultation with the Planning Commission. Shall be treated at par with Special Category States for funding i.e., 90% grant and 10% loan.
6. During a financial year, the grant component will be released in two equal instalments. The first instalment will be released on confirmation of project-specific budget provision and receipt of utilization certificate for the required expenditure.
7. The second instalment will be released on receipt of utilization certificate for having incurred 70% of expenditure comprising the released grant component, required loan component to be raised by States and the State share.
8. Upto 15% of the assistance (grant & loan) can be utilized for meeting establishment expenditure to be adjusted against the State loan share.
9. Central releases will normally start June after budget is passed. However, for States which utilize the assistance by March, release of assistance in April-May will be considered subject to availability of funds.
10. The grant component together with the required loan component must be released to the project authorities by the State Government within 15 days of its release by the Government of India.
11. If State Government fails to comply with the agreed target date for completion, the grant component released will be treated as loan and recovered as per usual terms of recovery of Central loans.
12. The Utilization Certificate shall be issued by the Chief Engineer of the project and countersigned by Secretary (WR/ Irrigation)/ Secretary (Finance) of the State Government.
13. The terms and conditions for the repayment of the loan component of the Central assistance if raised by the Centre would be as fixed by the lending agency.
14. The States would be required to submit Audited Statements of Expenditure on the project within 9 months of the completion of the financial year.
15. The State Governments should confirm the project specific budget provision for grant component, State share and loan component raised the market borrowing.

**C) SPECIAL PROVISIONS FOR REFORMING STATES**

- 1) Criteria for categorizing a State as reforming
  - (a) At the end of one year, calculation & communication of data by the Government of existing projects category-wise relating to actual O&M as Rs. per ha. And net revenue collection.
  - (b) At the end of three years – Increase water rates to enable allocation of Rs. 225/ha. for MI schemes and Rs. 450/ha. to Major/ Medium projects from revenue earned without subsidy as per XI Finance Commission.
  - (c) At the end of 5 years – Further increase water rates to meet full O&M costs for all category of projects.
- 2) For States which agree to above milestones and submit required Undertaking (Annexure-II) to the MoWR, relaxed terms of assistance will be extended as under:

For non-special category States 4:1 (Centre: State).

For special category States and for projects in KBK and identified flood prone, tribal and drought prone areas, 1:0 (Centre: State)
- 3) In case of defaulting States, additional grant share released as per relaxed norms will be recovered fully from the States at prescribed rate of interest.

**(D) SPECIAL PROVISION FOR FAST TRACK PROJECTS.**

- (1) approved projects which can be completed in next two financial years can be posed by states under Fast Track component of AIBP
- (2) The pattern of assistance will be 1:0 (Centre : State). The Central share will be on Normal Central Assistance Pattern with grant component being released by Centre and loan component raised by States.
- (3) Establishment expenditure of projects under fast track will be entirely borne by States themselves.
- (4) The releases will be made in two instalments of 50% each. The second instalment will be released after full utilization of the 1st instalment.
- (5) State governments will sign a MOU with the MoWR for fast track projects (Annexure-111)

**(E) MONITORING OF PROJECTS**

- 1) A comprehensive physical and financial periodical monitoring of major/ medium projects will be carried out by Central Water Commission with emphasis on quality control. Fast track projects will be closely monitored. The releases of subsequent instalments will be based on the recommendations of Central Water Commission.
- 2) Monitoring of the programme will also be done by the Ministry of Programme Implementation.

**MODIFIED GUIDELINES FOR THE**  
**ACCELERATED IRRIGATION BENEFITS PROGRAMME**  
**EFFECTIVE FROM 1.4.2005**

**SURFACE MINOR IRRIGATION SCHEMES**

**A) ELIGIBILITY CRITERIA**

- (1) Surface Minor Irrigation (MI) Schemes (both new as well as on-going) of States of North-East, Hilly States (Himachal Pradesh, Sikkim, Jammu and Kashmir and Uttaranchal) and drought prone KBK districts of Orissa which are approved by State TAC/ State Planning Department will be eligible under the programme. However, the State Government should submit only those proposals where the individual schemes are benefiting irrigation potential of at least 20 ha. and group of schemes (within a radius of 5 km) benefiting total ultimate irrigation potential of at least 50 ha. The proposed MI schemes per ha. should not exceed Rs. 1.00 lakh.
- (2) For Non-Special category States, only those Minor Irrigation Schemes with potential more than 100 hectare with preference to Tribal Areas and drought prone areas which wholly benefit dalits and adivasis are to be included under AIBP. The State Government would give an undertaking (Annexure-IV) for their completion on schedule in two financial years, beneficiary contributing 10% in cost and formation of Water Users Association (WUA) for post-construction maintenance. The schemes to be taken up will be decided in consultation with Planning Commission.
- (3) The other conditions to be satisfied are:
  - i) State Government will be required to enter into a Memorandum of Understanding (MoU) (Annexure-I) for each individual/ group of schemes under the programme with MoWR indicating balance cost, balance potential, year-wise phasing of expenditure and agreement to complete the scheme in two financial years with target of completion date.
  - ii) The projects which are already receiving assistance from external/ domestic agencies such as NABARD will not be eligible for Central Assistance (CLA) under the programme.

**B) TERMS OF FUNDING AND MODE OF DISBURSEMENT**

1. The assistance under the programme will be extended in the ratio of 2:1 (Centre: State) in the case of special category States on a projectised mode.
2. The assistance will be on the pattern of normal central assistance i.e. 70% loan & 30% grant in the case of non-special category States and 10% loan and 90% grant in the case of special category States and KBK districts of Orissa.
3. The loan component of the assistance is to be raised by the States themselves from market borrowings and only the grant component will be released by the Centre.
4. States which are considered fiscally weak and not being able to raise loan component by market borrowing, the Central Government would raise loan financing for the loan component of the Central assistance to such States.
5. The drought-prone areas, tribal areas and flood-prone areas in the country, to be identified in consultation with the Planning Commission. Shall be treated at par with Special Category States for funding i.e., 90% grant and 10% loan.



6. During a financial year, the grant component will be released in two equal instalments. The first instalment will be released on confirmation of project-specific budget provision and receipt of utilization certificate for the required expenditure.
7. The second instalment will be released on receipt of utilization certificate for having incurred 70% of expenditure comprising the released grant component, required loan component to be raised by States and the State share.
8. Upto 15% of the assistance (grant & loan) can be utilized for meeting establishment expenditure to be adjusted against the State loan share.
9. Central releases will normally start June after budget is passed. However, for States which utilize the assistance by March, release of assistance in April-May will be considered subject to availability of funds.
10. The grant component together with the required loan component must be released to the project authorities by the State Government within 15 days of its release by the Government of India.
11. If State Government fails to comply with the agreed target date for completion, the grant component released will be treated as loan and recovered as per usual terms of recovery of Central loans.
12. The Utilization Certificate shall be issued by the Chief Engineer of the project and countersigned by Secretary (WR/ Irrigation)/ Secretary (Finance) of the State Government.
13. The terms and conditions for the repayment of the loan component of the Central assistance if raised by the Centre would be as fixed by the lending agency.
14. The States would be required to submit Audited Statements of Expenditure on the project within 9 months of the completion of the financial year.
15. The State Governments should confirm the project specific budget provision for grant component, State share and loan component raised the market borrowing.

**C) SPECIAL PROVISIONS FOR REFORMING STATES**

- 1) Criteria for categorizing a State as reforming
  - (A) At the end of one year, calculation & communication of data by the Government of existing projects category-wise relating to actual O&M as Rs. per ha. And net revenue collection.
  - (B) At the end of three years – Increase water rates to enable allocation of Rs. 225/ha. for MI schemes and Rs. 450/ha. to Major/ Medium projects from revenue earned without subsidy as per XI Finance Commission.
  - (C) At the end of 5 years – Further increase water rates to meet full O&M costs for all category of projects.
- 2) For States which agree to above milestones and submit required Undertaking (Annexure-II) to the MoWR, relaxed terms of assistance will be extended as under:
  - (a) For non-special category States 4:1 (Centre: State).
  - (b) For special category States and for projects in KBK and identified flood prone, tribal and drought prone areas, 1:0 (Centre: State)
- 3) In case of defaulting States, additional grant share released as per relaxed norms will be recovered fully from the States at prescribed rate of interest.

**D) MONITORING OF PROJECTS**

Monitoring system as given below is proposed for the projects availing CLA under the programme.

- (1) Monitoring of these schemes has to be done by a State Government mechanism independent of construction agencies. These schemes would also be monitored periodically and accessed against predetermined targets by Ministry of Water Resources/ Central Water Commission.
- (2) Quarterly Physical/ Financial progress report should be made available to Ministry of Water Resources. The Finance / Planning Department of the State Government should furnish utilization certificate before the release of the next instalment.
- (3) The State Governments should provide sufficient O&M funds for these schemes and on completion preferably hand these over to local Panchayats/ water users associations.
- (4) Number of schemes submitted by the State Governments should be in keeping with the existing staff which can handle these optimally.

**Memorandum of Understanding between the Ministry of Water Resources, Government of India and Government of ..... on completion pf irrigation project.**

- (1) The memorandum of understanding is made between the Ministry of Water Resources, Government of India and the Government of ..... for the completion of the ongoing ..... irrigation project in the next four (4) financial years under the central assistance programme of the Government of India.
- (2) The ..... Irrigation project was approved by the Planning Commission in ..... for Rs. .... crores to irrigate ..... ha. annually.
- (3) According to the State Government, the latest estimated cost of the project is Rs. .... crores, the expenditure till ..... is Rs. .... Crores and potential of ..... ha. has already been created.
- (4) The balance cost for completion of the project is thus Rs. .... crores with a balance potential of ..... ha. The physical and financial details of the components to be covered under this programme are annexed.
- (5) The Ministry of Water Resources, Government of India agrees to extend Central assistance to cover the full balance cost of Rs. .... crores for the completion of the project in then next four (4) financial years subject to the following conditions:
  - i) The project will be completed by the Government of ..... by ..... .. Its completion will be informed immediately thereafter to the CWC, Ministry of Water Resources and the Planning Commission for deleting the project from the list of on-going projects.
  - ii) The Central assistance will be given in two instalments 50% each on year to year basis.
  - iii) The second instalment will be released after 70% utilization of the Ist instalment of CLA alongwith State share.
  - iv) The terms and conditions for the repayment of the Central assistance will be as prescribed by the Ministry of Finance from time to time.
  - v) The project will be closely monitored by the Central Water Commission and the release of the second instalment will be based on the recommendation of the Central Water Commission.
  - vi) The State Government shall ensure required quality control in the extension of the works. This aspect will also be covered by the Central Water Commission in their monitoring report.
  - vii) Request for extension of time limit for completion will not be normally entertained. Under special circumstances, extension of time-limit by one more year can be considered by the Ministry of Water Resources if proper justification is given by the State Government.
  - viii) In the event of default by the State Government to complete the project in the stipulated time, the 100% Central assistance will be converted to normal AIBP funding assistance as per existing terms and conditions applicable to the State viz. special or non-special category and recoveries due on account of this made from the State Government with interest as prescribed by the Ministry of

Finance in one lump by adjusting the same against the instalments of normal Central assistance.

Signed on the day .....200            at  
New Delhi

For and on behalf of the Govt.

Of .....

Secretary,

Government of .....

For and on behalf of

Government of .....

Commission (PR)

Ministry of Water Resources

**UNDERTAKING BY THE STATE GOVERNMENT OF \_\_\_\_\_ FOR**  
**ECONOMIC REFORMS IN IRRIGATION SECTOR**

To,

The President of India,  
Acting through \_\_\_\_\_  
(name, designation),  
Ministry of \_\_\_\_\_  
Government of India,  
New Delhi.

In consideration of the President of India, acting through \_\_\_\_\_ having agreed for providing Central assistance to States for Economic Reforms in the irrigation sector under Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP), the Governor of the State of \_\_\_\_\_ acting through (name, designation), Ministry/ Department of \_\_\_\_\_ Government of \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as “the SG”) hereby undertakes to review and rationalize the water rates for irrigation projects so as to recover full operation & maintenance cost within a period of maximum 5 (five) years for availing financial assistance under AIBP at proposed relaxed norms in the form of loan.

In pursuance to the aforesaid condition mentioned in the said AIBP, the SG do hereby declare and undertake as follows:

- (i) Calculation and communication gap between actual O&M cost per hectare of major/ medium irrigation project including multi-purpose projects and minor projects and realization of water rates as on the date of the undertaking within one year from the date of signing of the undertaking shall be intimated to the Government of India (hereinafter referred to as “the GOI”)
- (ii) Revision of water rate to reach the milestones for 3<sup>rd</sup> year within one year from the date of signing of the undertaking.
- (iii) Actual net revenue collection equivalent to cost of O&M at Rs. 225/ ha. for Minor Irrigation Schemes and Rs. 450/ ha. for major and medium schemes within a period of 3 years from the date of signing of undertaking.
- (iv) The SG agrees to further increase the water rates to meet full O&M costs of irrigation projects within 5 (five) years from the date of signing undertaking.
- (v) Half yearly progress report in respect of the steps taken by the SG for rationalizing the water rates shall be submitted to the GOI by 7<sup>th</sup> January and 7<sup>th</sup> July positively.

- (vi) The SG shall immediately inform non-adherence, if any of the above programme and thereafter henceforth shall not make any claim for central assistance at proposed relaxed criteria.
- (vii) In case of such failure, the SG will make extra efforts to meet the milestones set in the programme within one year otherwise additional central share as per relaxed norms provided to the SG shall be treated as withdrawn and recovered in one lumpsum instalment with interest as prescribed by the Ministry of Finance. Further Central assistance to the SG will be released as per existing norms.

Dated: \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Secretary (WR/ Irrigation) \_\_\_\_\_

Govt. of \_\_\_\_\_

For and on behalf of the Governor of the  
State of \_\_\_\_\_

In presence of

(witness)

**Memorandum of Understanding between the Ministry of Water Resources, Government of India and Government of ..... on completion of irrigation projects under Fast Track Programme**

- (1) The memorandum of understanding is made between the Ministry of Water Resources, Government of India and the Government of ..... for the completion of the ongoing ..... irrigation project in the next four (4) financial years under the central assistance programme of the Government of India.
- (2) The..... Irrigation project was approved by the Planning Commission in ..... for Rs. .... crores to irrigate ..... ha. annually.
- (3) According to the State Government, the latest estimated cost of the project is Rs. .... crores, the expenditure till ..... is Rs. .... Crores and potential of ..... ha. has already been created.
- (4) The balance cost for completion of the project is thus Rs. .... crores with a balance potential of ..... ha. The physical and financial details of the components to be covered under this programme are annexed.
- 5) The Ministry of Water Resources, Government of India agrees to extend Central assistance to cover the full balance cost of Rs. .... crores for the completion of the project in then next four (4) financial years subject to the following conditions:
  - i) The project will be completed by the Government of ..... by ..... .. Its completion will be informed immediately thereafter to the CWC, Ministry of Water Resources and the Planning Commission for deleting the project from the list of on-going projects.
  - ii) The Central assistance will be given in two instalments 50% each on year to year basis.
  - iii) The second instalment will be released after 70% utilization of the Ist instalment of CLA alongwith State share.
  - iv) The terms and conditions for the repayment of the Central assistance will be as prescribed by the Ministry of Finance from time to time.
  - v) The project will be closely monitored by the Central Water Commission and the release of the second instalment will be based on the recommendation of the Central Water Commission.
  - vi) The State Government shall ensure required quality control in the extension of the works. This aspect will also be covered by the Central Water Commission in their monitoring report.
  - vii) Request for extension of time limit for completion will not be normally entertained. Under special circumstances, extension of time-limit by one more year can be considered by the Ministry of Water Resources if proper justification is given by the State Government.
  - viii) In the event of default by the State Government to complete the project in the stipulated time, the 100% Central Assistance will be converted to normal AIBP funding assistance as per existing terms and conditions applicable to the State

viz. special or non-special category and recoveries due on account of this made from the State government with interest as prescribed by the Ministry of Finance in one lump by adjusting the same against the instalments of normal Central assistance.

Signed on the day .....200 at New Delhi

For and on behalf of the Govt.

For and on behalf of

Of .....

Government of .....

Secretary,

Commission (PR)

Government of .....

Ministry of Water Resources



**UNDERTAKING BY THE STATE GOVERNMENT OF \_\_\_\_\_ FOR**  
**INCLUSION OF NEW SURFACE MINOR IRRIGATION SCHEMES IN NON-SPECIAL**  
**CATEGORY STATES**

To,

The President of India,  
Acting through \_\_\_\_\_  
(name, designation),  
Ministry of \_\_\_\_\_  
Government of India,  
New Delhi.

In consideration of the President of India, acting through \_\_\_\_\_ having agreed for providing Central assistance to States for Surface Minor Irrigation Schemes under the Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP), the Governor of the State of \_\_\_\_\_ acting through (name, designation), Ministry/ Department of \_\_\_\_\_ Government of \_\_\_\_\_, hereinafter referred to as "the SG", hereby declare and undertake as follows:-

- i) The SG agrees for the completion of surface minor irrigation schemes on schedule.
- ii) The SG agrees for 10% beneficiary contributing in cost.
- iii) The SG will form water users association for post construction maintenance and formation of such water users association shall be intimated to Government of India within one year from the date of signing of the undertaking.
- iv) Quarterly progress report in respect of the Surface Minor Irrigation Schemes being implemented under AIBP shall be submitted to the Government of India by 7<sup>th</sup> January, April, July and October positively.
- v) In case of failure, the Central share provided to the SG under the programme shall be treated as withdrawn and recovered in one lump-sum instalment with interest as prescribed by the Ministry of Finance.

Dated: \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Secretary (WR/ Irrigation) \_\_\_\_\_

Govt. of \_\_\_\_\_

For and on behalf of the Governor of the  
State of \_\_\_\_\_

In presence of

(witness)

**MODIFIED GUIDELINES FOR THE ACCELERATED IRRIGATION BENEFITS  
PROGRAMME (AIBP)  
EFFECTIVE FROM DECEMBER 2006**

**A) ELIGIBILITY CRITERIA FOR FUNDING**

1. Major, medium and Extension, Renovation & Modernization (ERM) irrigation projects (a) having investment clearance of Planning Commission (b) are in advanced stage of construction and can be completed in the next four financial year (c) are not receiving any other form of financial assistance can be considered for inclusion in the programme. Components of the projects not receiving any other form of financial assistance can also be considered for inclusion in the programme. The eligibility criteria as per prevailing guidelines for selection of ERM project will continue. New project could be included in programme only on completion of an outgoing project under AIBP on one to one basis EXCEPT FOR projects benefiting (a) drought-prone areas; (b) tribal areas; (c) states with lower irrigation development as compared to national average; and (d) districts identified under the PM's package for agrarian distress districts. The list of the projects included in the PM's package is given in Annexure-I.
2. Surface Minor Irrigation (MI) schemes (both new as well as ongoing) of states of North-East, Hilly States (Himachal Pradesh, Sikkim, Jammu and Kashmir and Uttaranchal) and drought prone KBK districts of Orissa which are approved by State TAC/ State Planning Department will be eligible for assistance under the programme provided that (i) individual schemes are benefiting irrigation potential of at least 20 ha. and group of schemes (within a radius of 5 km) benefiting total ultimate irrigation potential of at least 50 ha. (ii) proposed MI schemes have benefit cost ratio of more than 1 and (iii) the development cost of these schemes per ha. is less than Rs. 1.00 lakh.  
For Non-special category states, only those minor irrigation schemes with potential more than 50 hectare which serve tribal areas and drought prone areas could be included under AIBP. The schemes to be taken up will be decided in consultation with Planning Commission.

**B) TERMS OF FUNDING AND MODE OF DISBURSEMENT**

1. The Central assistance will be in the form of central grant which will be 90% of project cost in case of special category States\*, projects benefiting drought prone area, tribal area and flood prone area and 25% of project cost in case of Non-special category States\*\*. The balance cost of the project as the state's share is to be arranged by the state government from its own resources.
2. During a financial year, the sanctioned grant will be released in two instalments. The first instalment based on projected outlay and the second instalment after completion of

expenditure. The grant component amounting to 90% of the total grant sanctioned will be released immediately and balance 10% will be released when 70% of the agreed expenditure is incurred. Funding for the years subsequent to the first year will be based on the confirmation of expenditure of the previous years.

3. The grant component along with the state share must be released to the project authorities by the state governments within 15 days of its release by the Government of India.
4. State governments will be required to enter into an MoU with MoWR (Annexure-II for major/ medium projects and Annexure-III for minor irrigation schemes) for each individual project under the programme indicating balance cost, balance potential, year-wise phasing of expenditure vis-à-vis balance potential and agreement to create targeted irrigation potential in four financial years for major/ medium projects and two financial years for minor irrigation schemes in Non-special, category states, the state government would give an undertaking (Annexure-IV) for their completion on schedule in two financial years and formation of Water Users Association for post construction maintenance.
5. The Utilization Certificate shall be issued by the Chief Engineer of the project and countersigned by Secretary (Water Resources/ Irrigation)/ Secretary (Finance) of the state government. The Utilization Certificate must contain physical achievement of Irrigation Potential as agreed to in the MoU on year basis. In case, the physical achievements in a particular year are less than that agreed to in the MoU, further grant will be released only on achieving physical target. The final target date of completion will however not be changed from that entered into MoU.
6. If the State Governments fails to comply with the agreed date of completion, the grant released will be treated as loan and recovered as per terms of recovery of the Central Loan.
7. The States would be required to submit audited statements of expenditure incurred on the AIBP component of the project within nine months of the completion of the financial year. The release of financial years will not be considered if audited statement of expenditure is not furnished within nine months of release of central assistance.
8. The State Governments should confirm the project specific budget provision for work to be done under AIBP on year to year basis.

## C) MONITORING OF PROJECTS

1. A comprehensive physical and financial periodical monitoring of major/ medium projects will be carried out by Central Water Commission/ Ministry of Water Resources and Ministry of Programme Implementation with emphasis on quality control.  
The monitoring visit and submission of Status Reports will be carried out by the Central Water Commission at least twice a year for the period ending March and September of the year. The releases of subsequent instalments will be based on physical and financial verification and the recommendations of Central Water Commission to the satisfaction of Ministry of Water Resources. The latest techniques such as monitoring through Remote Sensing Technology may be used by the Govt. of India to monitor the progress of works specifically, the Irrigation Potential created and States are required to provide necessary input details of Project to the Central Govt. time to time even after completion of Project.
2. Monitoring of the minor irrigation schemes has to be done by the State Government themselves through agencies independent of construction agencies. These schemes would also be monitored periodically on sample basis by Central Water Commission and assessed against predetermined targets by the Ministry of Water Resources.

\*\*\*\*

\* The Special Category States covers the North Eastern States, Sikkim, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, and Uttaranchal. The projects in the undivided Koraput, Bolangir and Kalahandi (KBK) districts of Orissa will also be treated at par with Special Category States.

\*\* All other states not covered in special category shall be Non-Special Category States.

The following projects have been identified for completion under the Prime Minister's package for distressed districts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala:

<b>MAHARASHTRA</b>	<b>1</b>	<b>Wan</b>
	<b>2</b>	<b>Upper</b>
	<b>3</b>	<b>Pothra Nala</b>
	<b>4</b>	<b>Utawali</b>
	<b>5</b>	<b>Purna</b>
	<b>6</b>	<b>Lal Nala</b>
	<b>7</b>	<b>Kar</b>
	<b>8</b>	<b>Arunavati</b>
	<b>9</b>	<b>Lower Wardha</b>
	<b>10</b>	<b>Bembla</b>
	<b>11</b>	<b>Sapan</b>
	<b>12</b>	<b>Pen Takli</b>
	<b>13</b>	<b>Khadakpurna</b>
	<b>14</b>	<b>Chandra Bhaga</b>
	<b>15</b>	<b>Dham</b>
	<b>16</b>	<b>Nawargaon</b>
	<b>17</b>	<b>Lower Pedhi</b>

<b>KARNATAKA</b>	<b>1</b>	<b>Mahaprabha</b>
	<b>2</b>	<b>Ghataprabha Stage-III</b>
	<b>3</b>	<b>Votehole</b>
	<b>4</b>	<b>Hippargi</b>
	<b>5</b>	<b>Markendeya</b>
	<b>6</b>	<b>Mod. Of Bhadra</b>
	<b>7</b>	<b>Huchanakopplu Lift</b>
	<b>8</b>	<b>Kanchanahalli Lift</b>

	9	Kamasamudra
	10	Rameswara Lift
	11	Ballary Nala
	12	Restoration and augmentation of Bhima samudra tank
	13	Harangi
	14	Hemavathi
	15	Yagachi
	16	Dudhaganga
	17	Chiklihole

<b>MAHARASHTRA</b>	1	Flood flow canal from Sriram Sagar Project
	2	Gundlakamma Reservoir
	3	Shriramsagar Stage-II
	4	Palemvagu
	5	Rallivagu
	6	Mathadivagu
	7	Gollavagu
	8	Peddavagu
	9	Rajiv LIS (Bhima Proj)
	10	Veligallu
	11	Alisagar LIS
	12	Guthpa LIS
	13	J Choka Rao (godavari LIS)
	14	Neelwai
	15	Kinner Sane
	16	Dummududam N S Tail Pond
	17	Sripada Sagar LIS

	18	<b>Rajiv Sagar LIS (Dummugudam)</b>
	19	<b>Pranahita-Chevella</b>
	20	<b>Koil Sagar LIS</b>
	21	<b>Singur Canal</b>
	22	<b>Indira Nagar LIS (Dummugudam)</b>
	23	<b>Komaram Bhim</b>
	24	<b>Choutapally Hanumanth Reddy LIS</b>
	25	<b>Modikuntavagu</b>

<b>KERALA</b>	1	<b>Chitturpuzha Project</b>
	2	<b>Karapuzha Project</b>
	3	<b>Malampuzha</b>
	4	<b>Koriarkutty Karapa</b>
	5	<b>Bansursagar</b>
	6	<b>Kanjirapuzha</b>

**Note:** AIBP assistance to these projects is subject to projects setting investment clearance from Planning Commission.

**Memorandum of Understanding between the Ministry of Water Resources, Government of India and Government of ..... on completion of irrigation projects under Fast Track Programme**

1. The memorandum of understanding is made between the Ministry of Water Resources, Government of India and the Government of ..... for the completion of ongoing ..... irrigation project in the next four (4) financial years under the central assistance programme of the Government of India.
2. The ..... irrigation project was approved by the Planning Commission in ..... for Rs. .... crores to irrigate ..... ha. annually.
3. According to the State Government, the latest estimated cost of the project is Rs. .... crores, at ..... price level and the latest estimated cost approved by Central Water Commission is Rs. .... crore at ..... Price level. The expenditure up to..... is Rs. .... crores and a potential of ..... ha. has already been created.
4. The balance cost for completion of the project is thus Rs. .... crores with a balance potential of ..... ha. The physical and financial details of the components to be covered under this programme are annexed. The physical year-wise target\* for creation potential will be as under:
  - 1<sup>st</sup> year – No target
  - 2<sup>nd</sup> year – Atleast 30% of total irrigation potential included in AIBP.
  - 3<sup>rd</sup> year – Atleast 60% of total irrigation potential included in AIBP.
  - 4<sup>th</sup> year – 100% irrigation potential included in AIBP.
5. The Ministry of Water Resources, Government of India agrees to extend Central assistance to cover the full balance cost of Rs. .... crores for the completion of the project in then next four (4) financial years subject to the following conditions:
  - i) The project will be completed by the Government of ..... by ..... .. Its completion will be informed immediately thereafter to the CWC, Ministry of Water Resources and the Planning Commission for deleting the project from the list of on-going projects.
  - ii) The Central assistance will be given in two instalments I<sup>st</sup>, 90% and 2<sup>nd</sup>, 10% of total grant to be released on year to year basis.
  - iii) The balance second instalment of 10% will be released after 70% of the expenditure is incurred and physical target of potential creation for the year is also achieved and indicated in Utilization Certificate.
  - iv) The project will be closely monitored by the Central Water Commission/ Ministry of Water Resources and the release of the subsequent instalment will be based on the recommendations of the Central Water Commission/ Ministry of Water Resources.



- v) The State Government shall ensure required quality control in the extension of the works. This aspect will also be covered by the Central Water Commission in their monitoring report.

Signed on the day .....200            at  
New Delhi

For and on behalf of the Govt. of .....	For and on behalf of Government of India .....
.....	Commission (PROJECTS), Ministry of Water Resources
Secretary, Government of .....	

\*        Deviation in the programme of potential creation would be with the concurrence of  
CWC/ MoWR.

**Memorandum of Understanding between the Ministry of Water Resources, Government of India and Government of ..... on completion of irrigation projects under Minor Irrigation Schemes**

1. The memorandum of understanding is made between the Ministry of Water Resources, Government of India and the Government of ..... for the completion of ..... ongoing irrigation project in the next four (4) financial years under the central assistance programme of the Government of India.
2. The ..... irrigation project was approved by the Planning Commission in ..... for Rs. .... crores to irrigate ..... ha. annually.
3. According to the State Government, the latest estimated cost of the project is Rs. .... crore, at ..... price level. The expenditure up to ..... is Rs. .... crore and a potential of ..... ha. has already been created.
4. The balance cost for completion of the project is thus Rs. .... crores with a balance potential of ..... ha. The physical and financial details of the components to be covered under this programme are annexed. The physical year-wise target\* for creation potential will be as under:
 

1<sup>st</sup> year – 10% irrigation potential included in AIBP.

2<sup>nd</sup> year –100% irrigation potential included in AIBP.
5. The Ministry of Water Resources, Government of India agrees to extend Central assistance to cover the full balance cost of Rs. .... crores for the completion of the project in then next two (2) financial years subject to the following conditions:
  - i) The project will be completed by the Government of ..... by ..... .. Its completion will be informed immediately to the Ministry of Water Resources and the Planning Commission for deleting the project from the list of on-going projects.
  - ii) The Central assistance will be given in two instalments 1<sup>st</sup>, 90% and 2<sup>nd</sup>, 10% of total grant to be released on year to year basis.
  - iii) The balance second instalment of 10% will be released after 70% of the expenditure is incurred and physical target of potential creation for the year is also achieved and indicated in Utilization Certificate.
  - iv) The project will be closely monitored by the Ministry of Water Resources and the release of the subsequent instalment will be based on the recommendations of the Ministry of Water Resources. Quarterly progress report in respect of the Surface Minor Irrigation Schemes being implemented under AIBP shall be submitted to the Government of India by 7<sup>th</sup> January, April, July and October positively.
  - v) The State Government shall ensure required quality control in the extension of the works.

Signed on the day .....200                      at New Delhi                      For and on behalf of Government of India  
 .....  
 For and on behalf of the Govt. of .....  
 Secretary, Government of .....  
 Commission (PROJECTS), Ministry of  
 Water Resources

\* Deviation in the programme of potential creation would be with the concurrence of CWC/ MoWR.

**ANNEXURE-IV**

**UNDERTAKING BY THE STATE GOVERNMENT OF FOR INCLUSION OF NEW SURFACE MINOR IRRIGATION SCHEMES IN NON-SPECIAL CATEGORY STATES**

To,

The President of India,  
Acting through \_\_\_\_\_  
(name, designation),  
Ministry of \_\_\_\_\_  
Government of India,  
New Delhi.

In consideration of the President of India, acting through \_\_\_\_\_ having agreed for providing Central assistance to States for Surface Minor Irrigation Schemes under the Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP), the Governor of the State of \_\_\_\_\_ acting through (name, designation), Ministry/ Department of \_\_\_\_\_ Government of \_\_\_\_\_, hereinafter referred to as "the SG", hereby declare and undertake as follows:-

- i) The SG agrees for the completion of surface minor irrigation schemes on schedule.
- ii) Quarterly progress report in respect of the Surface Minor Irrigation Schemes being implemented under AIBP shall be submitted to the Government of India by 7<sup>th</sup> January, April, July and October positively.
- iii) The SG will form water users association for post construction maintenance and formation of such water users association shall be intimated to Government of India within one year from the date of signing of the undertaking.
- iv) In case of failure, the Central share provided to the SG under the programme shall be treated as withdrawn and recovered in one lump-sum instalment with interest as prescribed by the Ministry of Finance.

Dated: \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Secretary (WR/ Irrigation) \_\_\_\_\_

Govt. of \_\_\_\_\_

For and on behalf of the Governor of the State  
of \_\_\_\_\_

In presence of

(witness)

AIBP Guidelines April2005, Dec2006, Oct 2013, RRR\_PMKSY-Guidelines June2017, SMI\_PMKSY-Guidelines- June2017 विभाग की वैबसाइट WWW.minorirrigation. uk.gov.in पर Acts and Rules के अन्तर्गत उपलब्ध है।